न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 88/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती ईमरती पत्नी तगाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेडा, तहसील व जिला बाडमेर		1– हीराराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी काऊ का खेडा, तहसील व जिला बाडमेर 2– तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22–3–2018 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन पत्र संख्या 45/2018 अनवान हीराराम बनाम श्रीमती ईमरती वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री अखिल कुमार गुप्ता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 1 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 20–9–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का तरमीम दुरस्त करवाने का प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उसके खातेदारी का खेत ग्राम काऊ की ढाणी तहसील बाडमेर के खसरा नंबर 395/61 रकबा 15.15 बीघा भूमि का आया हुआ है, उक्त खातेदारी की भूमि मे से 2 बीघा भूमि का बेचान हीराराम पुत्र बागाराम जाट ने तगाराम पुत्र नारायण राम को कर दिया जिसके आधार पर राजस्व रेकर्ड मे तगाराम का नाम अमल दरामद भी होकर उसके खरीदसुदा भूमि के खसरा नंबर 676/61 पडे । तत्पश्चात उक्त 2 बीघा भूमि का बेचान तगाराम ने श्रीमती ईमरती पत्नी तगाराम कौम जाट को कर देने पर उक्त बेचान के आधार पर नामांतरकरण संख्या 219 दिनांक 5–2–2018 के जरिये ईमरती का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ । रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया कि उसके द्वारा तगाराम को जो 2 बीघा जमीन बेचान की थी, उसके बेचाननामे मे पडौस दर्ज किये हुए थे परंतु बेचान की गई जमीन की तरमीम राजस्व नक्शे मे सडक के किनारे दर्शा दी जो तरमीम गलत होने से उसे दुरस्त करवाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के साथ एक प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थाई स्थगन आदेश जारी करने का भी प्रस्तुत किया। जिस अस्थाई

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21–2–2018 को प्रार्थी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम) के पक्ष मे इस आशय की जारी की कि मौजा काऊ की ढाणी के खसरा नंबर 676/61 रकबा 2 बीघा भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22–3–18 के जरिये उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे जारी आदेश दिनांक 21–2–18 को आवेदन के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थियां ने ग्राम काऊ की ढाणी तहसील बाडमेर के खसरा नंबर 676/61 की 2 बीघा भूमि के रेकर्डेड खातेदार तगाराम पुत्र नारायण राम से जनवरी 2018 मे खरीद की थी तथा अपीलार्थियां के पक्ष किये गये बेचान दस्तावेज के आधार पर नामांतरकरण संख्या 219 दिनांक 5–2–2018 स्वीकृत हुआ तथा अपीलार्थियां का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि केयर्न एनर्जी द्वारा खसरा नंबर 692/61 मे से 6 बीघा भूमि अवाप्त करने से यह भूमि मुख्य सडक पर आ गई । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त भूमि के मूल खातेदार हीराराम द्वारा जिस भूमि का बेचान तगाराम को वर्ष 2009 मे कर, उसे जिस स्थान पर कब्जा सुपुर्द किया था, तगाराम उसी स्थान पर काबिज रहते हुए उक्त जमीन का उपयोग व उपभोग कर रहे थे परंतु तगाराम के कब्जे एवं नामांतरकरण के संबंध मे रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम ने कभी कोई आपत्ति नही की परंतु उक्त 2 बीघा भूमि का बेचान अपीलार्थियां को करने तथा राजस्व रेकर्ड मे अपीलार्थियां का नाम इन्द्राज होने के पश्चात जब केयर्न एनर्जी द्वारा 6 बीघा जमीन अवाप्त करने से उक्त भूमि सडक के नजदीक आ जाने से रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम के मन मे लालच आ गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना रेकर्ड एवं मौके की जांच किये जो एकतरफा स्थगन आदेश पारित कर उसे आवेदन के निर्णय तक कन्फर्म करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 45/2018 अनवान हीराराम बनाम इमरती मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22–3–2018 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख मे उल्लेख अनुसार नक्शे मे तरमीम नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21-2-2018 एवं 22-3-2018 का अवलोकन किया । रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह उल्लेख किया कि उसके द्वारा तगाराम को जो 2 बीघा भूमि बेचान की थी, उसके बेचाननामे मे पडौस दर्ज किये हुए थे परंतु बेचान की गई भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे मे सडक के किनारे दर्शा दी जो तरमीम गलत होने से उसे दुरस्त करवाने का निवेदन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जो स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया था, उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र.संख्या 45/2018 पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने एकतरफा सुनवाई करते हुए दिनांक 21-2-2018 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष मे आगामी तारीख पेशी तक इस आशय की जारी की थी कि मौजा काऊ का खेडा के खसरा नंबर 676/61 रकबा 2 बीघा भूमि मे अप्रार्थी किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे । उसके पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 22-3-2018 को दोनो पक्षो को सुनकर तथा रेस्पो0 संख्या 1 (वर्तमान अपीलार्थियां) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत जवाब आदि का अवलोकन करने के पश्चात पूर्व मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा दिनांक 21-2-2018 को प्रार्थना पत्र के निर्णय तक कन्फर्म कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 22-3-2018 जो कि प्रार्थना पत्र के निर्णय तक कन्फर्म किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 हीराराम द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अभी अंतिम निर्णय पारित होना शेष है, इसलिए उक्त धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जायेगा।

प्रति— संभागीय आयुक्त
जोधपुर

ऐसे मे प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अपीलाधीन खसरा नंबर 676/61 की 2 बीघा भूमि के संबंध मे निष्पादित हुए प्रथम एवं द्वितीय दोनो बेचान दस्तावेजात मे उल्लेखित पडौस आदि का अवलोकन करे तथा उसके अनुसार

राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम का परीक्षण करें, साथ ही राजस्व रेकर्ड एवं मौके की वस्तुस्थिति रिपोर्ट तलब कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत निस्तारण करे । तब तक दोनो ही पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2018 से पाबंद रहेंगे ।

उक्त निर्देशो के साथ अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 20–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर